श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा.प्र.से., जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा दिनांक–04.06.2015 को मध्याह्न 12.00 बजे आगामी बिहार विधान सभा निर्वाचन, 2015 के अवसर पर चिरैया एवं ढाका विधान सभा क्षेत्र के मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित सिकरहना अनुमण्डल मुख्यालय में आयोजित बी0एल0ओ0 के कार्यों का समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

1.0 उपस्थिति

पंजी अनुसार

2.0 कार्यवाही

सर्वप्रथम BLO के कर्त्तव्य एवं दायित्वों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि मतदाता सूची की शत–प्रतिशत शुद्धता के साथ तैयारी करना उनका प्रमुख दायित्व है। ढाका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या–198 की मतदाता सूची पर अंकित फोटो की समीक्षा के कम में पूछे जाने पर BLO के द्वारा बताया गया कि मतदाता सूची में 3 फोटो अस्पष्ट है जबकि जॉच करने पर मतदाता सूची के प्रथम पृष्ठ पर ही 8 फोटो अस्पष्ट पाया गया। चिरैया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या–80 पर लिंग अनुपात सबसे कम पाया गया। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे स्वयं स्थल जॉच कर मतदाता सूची के लिंग अनुपात का सत्यापन करें एवं छूटे हुए योग्य महिला मतदाताओं को नाम मतदाता सूची में जोड़वाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई करें। समीक्षा के कम में यह भी पाया गया कि चिरैया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या–233 है, जिसमें 120 मतदान केन्द्र ऐसे हैं, जिसमें औसत से कम लिंग अनुपात पाया गया है। BLO को मतदाता सूची में मुख्य रूप से अंकित निम्नलिखित त्रुटियों के संबंध में बताया गया :–
(1) फोटो स्पष्ट नहीं होना (2) फोटो लिंग में मतभेद (3) लिंग उम्र में मतभेद (4) नाम लिंग में मतभेद (5) फोटो उम्र में मतभेद।

अतः उपरोक्त के आलोक में सभी BLO को निम्नलिखित निदेश दिये गये :–

2.1 प्राथमिकता के आधार पर आज ही अस्पष्ट फोटो चिन्हित करते हुए संबंधित मतदाताओं से सम्पर्क कर स्पष्ट फोटो प्राप्त करते हुए अनुमंडल मुख्यालय में संचालित लिंक सेन्टर पर स्पष्ट फोटो जमा कराना सुनिश्चित करें एवं BLO स्वयं कम्प्यूटर पर बैठकर आवश्यक संशोधन करवायेंगे। BLO को यह भी हिदायत दी गई कि यदि मतदाता सूची पर अस्पष्ट फोटो पाया जाएगा तो जबावदेही निर्धारित करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

2.2 अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अनुमंडल मुख्यालय में लिंक सेन्टर स्थापित कर 10 कम्प्यूटर अधिष्ठापित कर दिया गया। उन्हें निदेश दिया गया कि लिंक सेन्टर में सक्षम एवं योग्य पदाधिकारी को प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाय।

2.3 मतदाता सूची में पुरूष मतदाता के जगह महिला मतदाता का फोटो या महिला मतदाता के जगह पुरूष मतदाता का फोटो यदि गलती से अंकित है तो इसे प्राथमिकता के आधार पर सुधार करने का निदेश सभी BLO को दिया गया।

2.4 लिंग अनुपात में सुधार कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता–सह–निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सिकरहना को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इसके लिए सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को लिंग अनुपात सुधार हेतु प्रभारी पदाधिकारी एवं सभी महिला पर्यवेक्षिका को समन्वयक बनाने का निदेश दिया गया। बाल विकास

परियोजना पदाधिकारियों द्वारा की गयी उपलब्धी को उनके CR में अंकित करने का भी निदेश दिया गया। 7 जून को विशेष कैम्प के अवसर पर महिलाओं का प्ररूप–6 जमा करने का अभियान चलाने का निदेश दिया गया। उस दिन सभी सेविका अपने बी0एल0ओ0 के साथ क्षेत्र भ्रमण करके हर योग्य महिला का नाम निर्वाचक सूची में जोड़ना सुनिश्चित करेंगे। सभी बी0एल0ओ0 को क्षेत्र भ्रमण कर आगामी दिनों के अन्दर प्रत्येक मतदान केन्द्र पर कम–से–कम 50 महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु प्ररूप–6 संग्रहित करने का निदेश दिया गया।

2.5 मतदाता सूची में शत प्रतिशत अनुसूचित जाति के महिलाओं/पुरुषों का नाम जोड़ने का निदेश भी सभी बी0एल0ओ0 को दिया गया। जिला स्तर से जाँच टीम गठित कर इसकी औचक जाँच कराई जाएगी और इसमें कमी पाये जाने पर संबंधित BLO के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाने की चेतावनी दी गयी।

2.6 मतदाता सूची में सभी बी0एल0ओ को 18–20 वर्ष के आयु समूह के युवा मतदाता का नाम प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने हेतु इन्टर, महाविधालय, महिला महाविधालय आदि के प्राचार्य से सम्पर्क कर फर्म–6 का वितरण एवं संग्रहण का निदेश दिया गया।

2.7 मतदाता सूची में निर्वाचक सूची प्रमाणीकरण एवं सत्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी मतदाताओं का आधार कार्ड संख्या एवं मोबाईल नं0 एवं ई–मेल आई0डी0 चेकलिस्ट पर संग्रहित कर लिंक सेन्टर में अपलोड करने हेतु जमा करने का निदेश दिया गया।

2.8 मतदाताओं की जन्म तिथि का शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं मिलने की स्थिति में परिवार के मुखिया से उम्र के संबंध में घोषणा–पत्र प्राप्त कर मतदाता का नाम फर्म–6 में प्राप्त करने का निदेश दिया गया। साथ ही परिवार के मुखिया को इस आशय की जानकारी भी बी0एल0ओ0 को देने का निदेश दिया गया कि यदि मिथ्या घोषणा दिया जाता है तो उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

2.9 सभी BLO को निदेश दिया गया कि मतदाता सूची से नाम विलोपन की अनुशंसा सावधानी पूर्वक करेंगे, ताकि किसी भी परिस्थिति में सही मतदाताओं का नाम विलोपित नहीं हो।

2.10 प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी BLO से विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे कि ईपिक में कितनी त्रुटियाँ हैं और इसके निराकरण के संबंध में समुचित कार्रवाई करेंगे।

2.11 चिरैया एवं ढाका विधान सभा क्षेत्र से संबंधित ईपिक में सुधार कराने हेतु क्रमशः प्रखंड विकास पदाधिकारी, चिरैया एवं ढाका को नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करने का निदेश दिया गया इस कार्य में उनके सहयोग हेतु पर्यवेक्षक, सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं पदचर भी प्रतिनियुक्त रहेंगे। सभी BLO संबंधित प्रपत्र भरकर नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएँगे।

2.12 सभी BLO को निदेशित किया गया कि वे मतदान केन्द्र का सावधानी से निरीक्षण कर यह देखें की मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर पहुँचने के लिए दो कि0मी0 से अधिक की दूरी तय नहीं करनी पड़े। यदि दो कि0मी0 से अधिक दूरी तय करनी पड़ती हो तो दुसरा मतदान केन्द्र निर्धारण के संबंध में नियमानुसार प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करेंगे।

2.13 पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत अगला विशेष कैम्प दिनांक–07.06.2015 को निर्धारित है। उक्त तिथि को सभी BLO को प्रारूप सूची, विभिन्न प्ररूप एवं चेकलिस्ट के साथ मतदान केन्द्र पर प्रातः 10.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक उपलब्ध रहने का निदेश दिया गया।

2.14 निर्वाचन विभाग द्वारा प्राप्त डुप्लिकेट निर्वाचकों के चेकलिस्ट के आधार पर सभी बी0एल0ओ0 को सत्यापन कर डुप्लिकेट निर्वाचकों की सूची विलोपन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक–..... 265 ..../जि0निर्वा0, मोतिहारी, दिनांक–....04.... वीं जून, 2015

प्रतिलिपि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण/अपर समाहर्त्ता, (विभागीय जांच), पूर्वी चम्पारण/अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से सभी बी0एल0ओ0 को भी उक्त निदेशों से अवगत कराया जाय।

प्रतिलिपि उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला प्रबंधक, आई0टी0, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं *वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु* प्रेषित।

5/6.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।